

**प्रेस-विज्ञप्ति****थाना कोतवाली****एक नफर शातिर अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर****बरामद**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के.के. गुप्ता के कुशल नेतृत्व में अपराधियों की गिरफ्तारी तथा प्रभावी चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना पर उ.नि. कमल नयन दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा आज दिनांक 2.7.21 को जुनैदगंज चौराहा के पास से अभियुक्त सरीफ खान उर्फ मुस्तकीम पुत्र अफफान उर्फ नन्हू निवासी अन्जानशहीद थाना जीयनपुर आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद किया गया। *अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।*

**पूछताछ का विवरण**—अभियुक्त सरीफ उर्फ मुस्तकीम पूछताछ से बता रहा है कि मेरी मां बचपन में ही गुजर गयी थी उसके बाद से उसके बाद से मेरा बाप मुझे बहुत मारता पीटता था इसी कारण मैं घर से मुम्बई भाग गया तब मैं 8 -10 साल का था उसके बाद से मैं अब तक लगातार चोरी करता हूँ मुझे चोरी की लत लग गयी है, मैं चाहकर भी नहीं छोड़ पाता मुझ याद नहीं कि मैंने कितनी चोरी की होगी, चोरी में कई बार मैं जेल भी गयी हूँ। मैंने कई बार तौबा किया लेकिन मैं अब चोरी नहीं करूँगा लेकिन खुद को चोरी करने से रोक नहीं पाता। बचपन से लेकर अब तक मैंने चोरी ही किया है, मैं मुम्बई में भी चोरी करता हूँ चोरी के पैसे को घर लेकर आता हूँ और मौजमस्ती में खर्च कर देता हूँ चोरी की घटना मैं अकेले अन्जाम देता हूँ उसी में अगर कोई चोरी करते समय जाग जाता है तो उसे तमन्चा दिखाकर डरा देता हूँ तमन्चा को चोरी की घटना अन्जाम देने के लिये ही अपने पास रखता हूँ कि आज आप लोगो के द्वारा पकड़ लिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता—**

सरीफ खान उर्फ मुस्तकीम पुत्र अफफान उर्फ नन्हू निवासी अन्जानशहीद थाना जीयनपुर आजमगढ़

**बरामदगी-**

01 अदद तमन्चा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

**पंजीकृत अभियोग –**

मु.अ.स. 197/21 धारा 3,25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास –**

1. मु0अ0सं0-417/13 धारा 8,20 NDPS ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-262/13 धारा 379,411 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0-253/13 धारा 379,411 भादविथाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0-237/12 धारा 3,25आयुध अधि. थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0-448/10 धारा 3,25 आयुध अधि. थाना बडहलगंज गोरखपुर
6. मु0अ0सं0-निल/10 धारा 41,411 413,414 भादवि थाना बडहलगंज गोरखपुर ( 5 किलो की अष्ट धातु की बुद्ध प्रतिमा बरामद)
7. मु0अ0सं0-197/21 धारा 3,25आयुध अधि. थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. उ.नि. कमल नयन दूबे प्रभारी चौकी बलरामपुर
2. हे.का. महेन्द्र यादव थाना कोतवाली
3. का. अरुण पाण्डेय थाना कोतवाली
4. का. सोनू यादव थाना कोतवाली
5. का. रन्जीत कुमार थाना कोतवाली

**थाना दीदारगंज****गोवध में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर, थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह थाना दीदारगंज के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.07.2021 को उ0नि0 अवधेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह हे0का0 अपरबल सिंह, का0 अनुप यादव व का0 सत्येन्द्र प्रजापति के साथ थाने से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र में कस्बा दीदारगंज में

मामूर थे कि मुखबीर खास आकर सूचना दिया की मु0अ0सं0 67/2021 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना दीदारगंज आजमगढ़ से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण महुआरा नहर पुल के पास खडे है कोई घटना करने के फिराक में है। मुखबीर खास की बात पर विश्वास कर पुलिस टीम मुखबीर खास के कस्बा दीदारगंज से प्रस्थान महुआरा नहर पुलिया के कुछ पहले पहुची कि मुखबीर खास दुर से इशारा करके हट बढ गया। महुआरा पुलिया पर देखा गया कि दो व्यक्ति वहा पर खडे होकर आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे कि पुलिस टीम अपने आप को छुपते छुपाते एकबारगी दबिश देकर खडे दोनो व्यक्तियों को पकड लिया गया । पकडे गये व्यक्तियो से बारी -बारी नाम पता पूछा गया तो क्रमशः पहले व्यक्ति ने अपना नाम इरफान पुत्र अबू जफर ग्राम सदरुद्दीनपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ तथा दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम अबु साहिद पुत्र स्व0 अयुब ग्राम सदरुद्दीनपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ बताया नाम पता तस्दीक होने पर उक्त अभियुक्तगणो को अपराध का बोध कराते हुए दिनांक 02.07.21 को समय करीब 08.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 67/2021 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना दीदारगंज आजमगढ़ ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. इरफान पुत्र अबू जफर ग्राम सदरुद्दीनपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. अबु साहिद पुत्र स्व0 अयुब ग्राम सदरुद्दीनपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
- 2-उ0नि0 अवधेश कुमार त्रिपाठी
- 3- हे0का0 अपरबल सिंह,
- 4- का0 अनुप यादव
- 5- का0 सत्येन्द्र प्रजापति

### थाना मेहनाजपुर

### लूट का वांछित अभियुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तगण/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन के आदेश निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक थाना मेहनाजपुर के कुशल निर्देशन में S SI छुन्ना सिंह व SI सुधीर कुमार पाण्डेय मय हमराहीयान के साथ देखभाल क्षेत्र व भ्रमण ,तलाश वांछित अभियुक्तगण /चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन क्षेत्र में ग्राम बाजार सिधौना में मामूर थे कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली की मु.अ.सं. 61/21 धारा 392,411,34 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद AZH से सम्बंधित वांछित अभियुक्त विशाल सिंह मार्ग सिधौना पर स्थित बड़ी नहर पुलिया ग्राम बेला के पास बैठा है मुखबीर की इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मुखबीर को साथ लेकर ग्राम बेला नहर पुलिया के पास पहुंची । पुलिया पर एक व्यक्ति बैठा था पुलिस टीम को देखकर वह भागने का प्रयास किया भागते हुए व्यक्ति का दौड़ाकर पीछा किया गया तो करीब 50 मीटर जाते जाते आवश्यक बल प्रयोग कर पकड लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम विशाल सिंह पुत्र शत्रुघन सिंह बताया ।पकड़े गये व्यक्ति से एक अदद तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ,व सम्बंधित मु.अ.सं.61/21 धारा 392,411,34 भादवि से सम्बंधित लूट के 1200 रुपये बरामद हु ए। पकड़े गये व्यक्ति का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध है पकड़े गये व्यक्ति को अपराध का बोध कराकर दिनांक 02.06.21 को समय करीब 7.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त :

विशाल सिंह पुत्र शत्रुघन सिंह ग्राम बेला थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

### विवरण बरामदगी

एक अदद तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ,1200 रुपये

### पंजीकृत अभियोग:

मु.अ.सं.66/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

### अपराधिक इतिहास :

मु.अ.सं. 61/21 धारा 392,411,34 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद

### गिरफ्तार करने वाली टीम :

1. SSI छुन्ना सिंह- थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
2. SI सुधीर पाण्डेय -थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 गुलाब यादव-थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 विकास सरोज- थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
5. का0 विकास यादव -थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

### थाना-रौनापार

## पुलिस टीम पर हमला करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

वादी मुकदमा हे0का0 मुखराज यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु 0अ0सं0 111/21 धारा 147/148/149/307/308/323/325/333/352/353/504/506/188/269/270/427 भादवि व 7 CLA ACT बनाम 1. मुन्ना पासवान पुत्र श्यामलाल पासवान 2. बृजभान पुत्र श्यामलाल 3. स्वतन्त्र कुमार उर्फ अप्पू पुत्र स्व 0 श्यामदेव 4. सुनिल पुत्र बृजभान 5. श्रीभजन पुत्र सम्हार 6. सन्तोष पुत्र बृजभान 7. श्रवण पुत्र राजपति 8. दीपक पुत्र गुड्डू 9. आकाश पुत्र गुड्डू 10. साहुल पुत्र शिवनाथ 11. सूर्य प्रकाश पुत्र मुन्ना 12. कवि पुत्र अज्ञात 13. सुबाष पुत्र सिकई पासवान 14. राहुल पुत्र शिवनाथ 15. राजपति पुत्र किशोर समस्त निवासीगण पलिया थाना रौनापार आजमगढ़ 16. आशुतोष राय उर्फ समीर पुत्र हरिश्चन्द्र राय निवासी मऊकुतुबपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ तथा लगभग 100 व्यक्ति नाम पता अज्ञातके विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा दिनांक 02.07.2021 को भीमबर पलिया के पास से समय करीब 08.30 बजे एक नफर अभियुक्त (1) चन्द्रजीत पासवान पुत्र स्व 0 बेचन पासवान निवासी पलिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष व एक नफर बाल अपचारी (2) चन्दन पासवान पुत्र सुबाष पासवानपलिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 16 वर्ष को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण** – अभियुक्त व बाल अपचारी उपरोक्त से पूछताछ पर बतायें कि साहब हमारे ग्राम प्रधान मुन्ना पासवान के ललकारने पर हम लोग सिपाहियों को मारने पीटने लगे हमसे गलती हो गई। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे।

### पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 111/21 धारा 147/148/149/307/308/323/325/333/352/353/504/506/188/269/270/427 भादवि व 7 CLA ACT थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

### गिरफ्तार अभियुक्त व बालअपचारी का नाम व पता:-

**अभियुक्त:-** 1. चन्द्रजीत पासवान पुत्र स्व0 बेचन पासवान निवासी पलिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष

**बाल अपचारी:-** 2. चन्दन पासवान पुत्र सुबाष पासवानपलिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 16 वर्ष

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष तारकेश्वर राय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 कृपाशंकर सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 कीर्ति सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. का0 रमेश कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
5. म0का0 रीना अग्निहोत्री थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

## थाना-रौनापार

### 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादी मुकदमाश्री राजेश कुमार खण्ड शिक्षा अधिकारी हरैया आजमगढ़ के लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु 0अ0सं0 57/21 धारा 419/420/467/468/471 भादवि बनाम (1) कमलनरायन मिश्रा पुत्र स्व 0 कपिलदेव मिश्रा निवासी 590-ए बर्बा-6 थाना बर्बा जनपद कानपुर नगर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी व थानाध्यक्ष रौनापार के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ 0नि0 मदन कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक 02.07.2021 को दाम महुला के स्कूल के गेटके पास से समय करीब 10.20 बजे मु0अ0सं0 57/21 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त कमलनरायन मिश्रा पुत्र स्व 0 कपिलदेव मिश्रा सा0 590-ए बर्बा-6 थाना बर्बा जनपद कानपुर नगर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 57/21 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कमलनरायन मिश्रा पुत्र स्व0 कपिलदेव मिश्रा सा0 590-ए बर्बा-6 थाना बर्बा जनपद कानपुर नगर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 संदीप शर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 श्याम नारायण सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

\*नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल कार्यवाही की गयी है।\*

29 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की